उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक : 2084 / 157(2022) 2022–23 दिनांक : 07/10/ 2022

कार्यालय–ज्ञाप

याचिका संख्या–14121/2022 मनोज कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2022 में दिये गये निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या–01/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नही करने से दिनांक 30.09.2022 की विद्यमान रिक्त पदों को रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किये जाने की योजनाः–

क्रम संख्या	की जाने वाली कार्यवाही	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश में निर्धारित समयावधि
1	चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नही करने से दिनांक 30.09.2022 तक विद्यमान विषयवार, वर्गवार व श्रेणीवार रिक्तियों की सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चयनबोर्ड को उपलब्ध कराना।	दिनांक 15.10.2022 तक
2	रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों को अधिमानता भरने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सभी रिक्तियों के विवरण को चयनबोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना।	दिनांक 15.11.2022 तक
3	रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप मूल आवंटन के समय अपनायी गयी प्रकिया की भॉति पुनः नवीन अधिमानता भरने हेतु चयनबोर्ड द्वारा आवश्यक निर्देश जारी करना।	बिन्दु 02 की कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 27.11.2022 तक
4.	चयनबोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों की नवीन अधिमानता प्राप्त किया जाना।	दिनांक 28.11.2022 से 30.11.2022 तक (तीन दिन)

5.	बिन्दु 04 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद विज्ञापन संख्या–01/2016 का अनुपूरक पैनल–1 पैनल तैयार कर इसे सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक के पृष्ठॉकन सहित उपलब्ध कराना ।	**बिन्दु 04 की कार्यवाही से 02 सप्ताह के भीतर दिनांक 15.12.2022 के बाद नही।**
6.	प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनकी ई–मेल आई0डी0 का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल–1 चयनबोर्ड एवं शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना।	**दिनांक 15.12.2022 तक**
7	अनुपूरक पैनल–1 प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करते हुए सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के लिए सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवश्यक पत्र निर्गत किया जाना।	**अनुपूरक पैनल–1 जारी होने के 15 दिन के अन्दर अर्थात् अधिकतम दिनांक 31.12.2022 तक**
8.	सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक/और ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबन्धतंत्र को भेजना। विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्ताव पास करके सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति–पत्र प्रेषित करने के साक्ष्य सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र की प्रति भेजना।	**बिन्दु 07 की कार्यवाही से 01 माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 31 जनवरी 2023 तक**
9.	अतिरिक्त समय की मांग किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करते हुए पुनः नियुक्ति पत्र भेजा जाना।	**15 दिन का अतिरिक्त समय, 15 फरवरी 2023 के पश्चात् नही।**
10	सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रथम 30 दिन या बढ़ाये गये 15 अतिरिक्त दिन तक नियुक्ति–पत्र जारी नही करने या इस सम्बन्ध में कोई सूचना नही प्राप्त होने पर जॉच के पश्चात् सम्बन्धित अभ्यर्थी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्ति–पत्र जारी कराया जाना।	**दिनांक 15 फरवरी 2023 के पश्चात् अर्थात् जॉच में लगने वाले समय के तुरन्त बाद।**
11	नियुक्ति पत्र निर्गत होने के पश्चात् सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण किया जाना।	**नियुक्ति–पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर और किसी भी स्थिति में 02 माह के बाद नही अर्थात् 15 अप्रैल 2023 तक**

12	बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक पैनल–1 के सापेक्ष सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति–पत्र दिये जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की पुष्टि के साथ यदि कोई रिक्ति हो तो उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा जाना।	**बिन्दु 11 की कार्यवाही के बाद 15 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक**
13	उपर्युक्त प्रकिया के पालन के पश्चात् भी किसी और रिक्ति के रहने की दशा में और, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध रहने की दशा में (जिन्हें पहले आमंत्रित नही किया गया हों) उपरोक्त प्रकिया पुनः दोहराई जायेगी एवं अनुपूरक पैनल–02 बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा जब तक कि विज्ञापन से सम्बन्धित इस प्रकार की सभी रिक्तियॉ भर न जायें अथवा सभी वेटलिस्ट के अभ्यर्थी समाप्त न हो जायें।	**05 माह के अन्त होने पर**

07/10/22

सचिव
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।